तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4319/2006/जयपुर भंवरीलाल बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित–

श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी

श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक 24.02.2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–33/2006 बउनवानी जगदीश बनाम भंवरीलाल में पारित निर्णय दिनांक 02–05–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी जगदीश ने तहसीलदार जयपुर के समक्ष दिनांक 5–10–2004 को केसूराम पुत्र कानाराम सेनी का देहान्त दिनांक 25–12–2002 को होने पर विरासत के आधार पर उनके द्वारा धारित कृषि भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद जांच एवं सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 13–5–2005 से प्रत्यर्थी जगदीश की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया तथा मृतक केश्या पुत्र काना माली निवासी जयसिंहपुरा खोर के नाम अंकित भूमि का विरासत का नामान्तरकरण उसके एक मात्र जायन्दा पुत्र भंवरीलाल के नाम अंकित करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–5–2006 से स्वीकार कर तहसीलदार, जयपुर, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–5–2005 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील सुनी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि विवादग्रस्त आराजी केशा पुत्र कान्हा के नाम दर्ज थी। केशा के दो पुत्र भंवरीलाल और कुशालाराम हुए थे। कुशालाराम अपने पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गया था। कुशालाराम के मृत्यु होने पर उसके वारिसान के नाम नाथू की जमीन का नामांतरण पहले कुशालराम और फिर उनके वारिसान के नाम खुल गया। जगदीश का कोई हक नहीं बनता है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2006 को अपील स्वीकार करके तहसीलदार का आदेश अपास्त कर दिया। इसलिए यह द्वितीय अपील पेश की है। उक्त आदेश के पश्चात् जगदीश ने एक दावा जगदीश बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4319/2006/जयपुर भंवरीलाल बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख

भंवरलाल 2005 में किया है, जो घोषणा का है। जमाबंदी पेश हुई है, जिसमें कुशालाराम नाथू के पुत्र के रूप में दर्ज है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल दावा लंबित होने के कारण से उक्त आदेश अपास्त किया है जो उचित नहीं है। नेगेटिव अपरोच रही है अतः आदेश अपास्त किया जावे।

विद्धान अधिवक्ता रैस्पोडेन्ट का तर्क है कि केसूराम दिनांक 25-12-2002 को फौत हुआ है जिसके दो पुत्र कुशालाराम और भवरीलाल थे, कुशालाराम गोद गया हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। कुशालाराम दिनांक 5-1-1989 को देहान्त हो गया था। इस सम्बन्ध में नानगी जो कि नाथूराम की पत्नी ने बयान दिया है कि उसने कुशालाराम को गोद नहीं लिया है। गोद गया हो ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। जांच में तहसीलदार ने जो साक्ष्य लिया उस पर सही विचार नहीं किया और दिनांक 13-5-2005 का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस भूल को सही किया है और गोद नहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया है जो सही है और वैसे भी बडा बेटा गोद नहीं जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे और अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि केशा पुत्र काना के नाम विवादित आराजी थी केशा का देहान्त हो चुका है केशा के दो पुत्र कुशालाराम व भंवरीलाल हुए और कुशाला राम अपने पिता के जीवनकाल में ही फौत हो चुका है और प्रार्थी जगदीश कुशालाराम का वारिस रहा है। विचारण न्यायालय तहसीलदार द्वारा केसा की भूमि का नामान्तरकरण जगदीश के नाम करने का प्रार्थनापत्र खारिज किया है और जिसका मुख्य आधार यह लिया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 25 के खाता संख्या- 23 व 24 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नाथा माली के स्थान पर कुशाला का नाम अंकित हुआ है और मौजूदा जमाबन्दी के खाते के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि कुशालाराम की मृत्यु पर भूमि का इन्द्राज उसकी पत्नी धापू देवी व पुत्र जगदीश के नाम अंकित हो चुका है और कुशाला राम को नाथू के यहां गोद जाना माना है। यह सही है कि कोई व्यक्ति गोद गया है या नहीं यह तथ्य जांच का विषय तहसीलदार का नहीं है सिविल न्यायालय ही इस बिन्दू को अन्तिम रूप से तय कर सकता है लेकिन नामान्तकरण एक समरी प्रोसिडिग्स है प्रथम दृष्टया जो तथ्य सामने आते है, उन पर विचार करते हुए ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। सम्वत् 2012 की जमाबन्दी में कुशाला पुत्र नाथू जाति माली साकिन देह दर्ज है यदि कुशाला नाथू के गोद नहीं गया तो उसका पुत्र के रूप में इन्द्राज कैसे हो सकता है। प्रथम दृष्टया इस तथ्य को बल मिलता है कि कुशाला नाथू के गोद गया है और गोद पुत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर/4319/2006/जयपुर भंवरीलाल बनाम जगदीश	नम्बर व तारीख

के आधार पर ही बतौर पुत्र उसके नाम नामान्तरकरण जमाबन्दी में दर्ज है। इसलिए नानगी ने अब जो दावा पेश किया है या जगदीश ने जो दावा पेश किया है, उसका प्रभाव तहसीलदार के निर्णय पर नहीं पडता है, अन्तिम रूप से नामान्तरकरण इस वाद के निर्णय होने के उपरान्त ही उसके अनुसार नामान्तकरण हो सकता है।

मौजूदा स्थितियों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के आदेश को अपास्त किया है और यह उल्लेख किया है कि ''संक्षिप्त कार्यवाही में किसी के अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, गोद गया या नहीं इस बिन्दू को सक्षम न्यायालय ही तय कर सकता है। इस हेतु नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय को गोद जाने के निस्तारित करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः आदेश त्रुटिपूर्ण है'' लेकिन इस आदेश के जरिये जगदीश के नाम नामान्तकरण खोलने का आदेश दिया गया हो ऐसा भी नहीं है। यह स्वीकृत तथ्य है कि जगदीश नाथू की सम्पत्ति अपने पिता के माध्यम से बतौर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति दो स्थान पर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है। प्रथम दृष्टया तहसीलदार का आदेश उचित है। अन्तिम रूप से सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात् ही होगा लेकिन तब तक नामान्तकरण स्थगित नहीं किया जा सकता और तहसीलदार का आदेश बहाल रखे जाने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किय जाने योग्य है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिग्स है, जिसमें किसी के अधिकार तय नहीं होते है और पक्षकार सक्षम न्यायालय से अपने अधिकार तय करावें।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या–33/2006 बउनवानी जगदीश बनाम भंवरीलाल में पारित निर्णय दिनांक 02–05–2006 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–5–2005 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य